ले.प.प्रति.सं.-37/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, चम्पावत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, चम्पावत के **04/2005** से **09/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, एवं श्री शैलेंद्र कुमार पांडेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **22.10.2018** से **27.10.2018** तक सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- **<u>परिचयात्मक-</u>** प्रथम लेखापरीक्षा।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **04/2005** से **09/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र-चम्पावत

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	5.93	5.56	68.16	66.67	-	-
2016-17	-	-	6.30	5.49	88.51	76.71	-	-
2017-18	-	-	5.04	05.03	71.48	70.95	-	-
2018-19 (सितम्बर 2018 तक)	-	-	3.45	1.94	89.17	40.19	-	-

(ब) Autonomous Bodiesविगततीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई "सी"श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

महानिदेशक होमगार्डस
डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, होमगार्डस
सहायक उपमहाषमादेष्टा , होमगार्डस
मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्डस
जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, चम्पावत** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, चम्पावत** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **02/2006, 03/2010, 03/2014, 03/2015, 03/2016, 05/2017** एवं **08/2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।
(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

.....शून्य.....

भाग 2 (ब)

प्रस्तरः1- वित्त की सहमति के बिना व्ययावर्तन रू 98452/-

चैप्टर-13 के सैक्शन-1 के पैरा एवं 125 के अनुसार-

123. All Savings anticipatyed by the controlling officers should be reported by them with full details and reasons to the adminsistrative departments concerned of the Secretariat immediately they are foreseen, unless these are required to meet anticipated requirements for additional funds under some other heads within the total allotment umder the same grant/a[[rp[roatopm placed under their control. no amount out the savings should be held in reserve for meeting additional expenditure not definitely foreseen or already approved by the competent authority. Except as provided under paragraph 126. The administrative departments should intimate such of the savings reported by the controlling officers as may not be required by them to the Finance Department which will resume the savings. Savings so resumed will be re-alloted by the Finance Department, if necessary, when dealing with applications for reappropriations or supplementary grants or appropriations.

125. It must be carefully noted that no amount out of the savings reported in the final statement shall subsequently be utilised by the controlling officer without the prior approval of the Finance Department. Savings coming to notice after the dispatch of the final statement should be reported separately as soon as possible. All final savings must be surrendered to the Finance Department by 25th march. Officers making belated surrenders, when savings could reasonably have been foreseen and surrendered earlier, will be held responsible for the resultant financial irregularity of the Finance Department are not able to accept such surrenders.

जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस, चम्पावत की रोकड बही के वाउचर्स एवं 11 सी रजिस्टर के साथ जांच के दौरान पाया गया कि उपनल से मांगे गए कर्मचारियों का भुगतान मद संख्या-16 व्यवसायिक सेवाओ से न करके मद संख्या-02 मजदूरी से किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	**बिल संख्या**	**मद संख्या-02 से भुगतान की गई व्यवसायिक सेवाओं की**
2014-15	109	12369
2015-16	105	12578
	107	9450
2016-17	03	44252
	04	19803
	योग	**98452**

वित्त सहमति के बिना उक्त व्ययावर्तन किया गया।

इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि मुख्यालय के मौखिक दिशानिर्देशों के अनुसार उपरोक्त व्यय किया गया। उत्तर मान्य नही है, क्योंकि वित्त की सहमति के बिना कोई पुर्नर्विनियोजन नही किया जा सकता।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण- **शून्य**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
प्रथम लेखापरीक्षा			

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, चम्पावत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- रू 19316 के वाउचर्स उपलब्ध नही कराये गये।**

2- सतत् अनियमितताये:- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	श्री अमिताभ श्रीवास्तव	जिला कमान्डेन्ट	12.08.2008	22.10.2010
2	श्री दीपक पन्त	जिला कमान्डेन्ट	22.10.2010	14.12.2010
3	श्री दीपक पन्त	अतिरिक्त प्रभार	12.12.2010	18.02.2010
4	श्री ललित मोहन जोशी	अतिरिक्त प्रभार	19.02.2015	03.07.2016
5	श्रीमती प्रतिभा	अतिरिक्त प्रभार	03.7.2018	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, चम्पावत** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र